कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/ 4104 /न्या.लि./कोरोना सेल/2020 रायगढ़,दिनांक 06 मई, 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण, बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं एडवायजरी के परिप्रेक्ष्य में छ0ग0शासन, वाणिज्य उद्योग एवं परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 207/स.परि./2020, नवा रायपुर दिनांक-28.04.2020 के अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र कमांक 3508/न्या.लि./कोरोना सेल/2020 दिनांक 29 अप्रैल 2020 के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के माल परिवहन की अनुमति सोशल डिस्टेंस रखते हुए किये जाने के लिए निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार छ.ग. शासन परिवहन विभाग के पत्र कमांक 228/स.परि.. /2020 नवा रायपुर दिनांक 05.05.2020 के द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में अनुमति प्राप्त अर्न्तराज्य माल परिवहन निरंतर जारी है तथा कोरोना प्रभावित राज्यों से मालवाहक यानों के साथ ड्राईवर एवं हैल्पर भी आ-जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में यह संभावित है कि उक्त व्यक्तियों में से कोरोना कैरियर होने की दशा में कोरोना संक्रमण का प्रकोप छत्तीसगढ़ में फैलने की संभावना है, को दृष्टिगत रखते हुए (रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं जैसे-सब्जी, दूध, अण्डे इत्यादि को लाने वाले छोटे माल वाहनों को छोड़कर) **नगरीय क्षेत्र के भीतर रात्रि 09:30 बजे से प्रातः 06:00 बजे** तक निम्नांकित शर्तो के अधीन एतद्द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त माल परिवहन की अनुमति दी जाती है :-

1. अन्य राज्यों/जिलों से आये मालवाहक यानों के साथ ड्राईवर एवं हैल्पर को लोडिंग/अनलोडिंग चिन्हांकित पाईट पर ही रुके। ड्राईवर एवं हैल्पर नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर न आवें तथा लोडिंग/अनलोडिंग पाईट पर ही रुके। अन्य व्यक्तियों से मिलने-जुलने एवं अनावश्यक अन्य स्थानों पर जाना प्रतिबंधित रहेगा। पेयजल, खाने-पीने की व्यवस्थाएं उसी निश्चित स्थान लोडिंग/अनलोडिंग पाईट/गोदाम के स्वामी द्वारा की जाए।
2. अनलोडिंग पाईट पर पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरीय क्षेत्र की सीमा के बाहर उपयुक्त स्थल पर उनके रुकने की व्यवस्था जहां सुनिश्चित की गई हो वहां ही रुकना सुनिश्चित करें।
3. यथासंभव माल वाहनों से लोडिंग/अनलोडिंग भीड़-भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न की जाए। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़-भाड़ न हो।
4. ड्राईवर, हैल्पर एवं श्रमिकों को कार्यस्थल पर फेसमास्क के उपयोग कराना सुनिश्चित करें एवं सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए सभी माल वाहनों का सैनिटाईजेशन भी अनिवार्य रुप से कराया जाये।
5. माल का परिवहन किस-किस जगह से हुआ है तथा ड्राईवर एवं हेल्फर किस-किस जगह में हाल्ट किये हैं, का स्थल चिन्हित कर, ट्रैवल हिस्ट्री संबंधित संस्था/एसोसियेशन/एर्जेसी द्वारा संधारित किया जाये।

Document/ Korona/JC-095

Scanned with CamScanner

6. माल एक ही स्थान पर ही अनलोड किया जाये। अलग-अलग स्थानों में अनलोड नहीं किया जाये।

7. माल परिवहन के दौरान यदि गाड़ी खराब होती है तो ऐसी स्थिति में जिले के शहर से बाहर क्षेत्र में गाड़ी का मरम्मत कराया सुनिश्चित करें।

8. माल परिवहन के दौरान ड्राईवर एवं हेल्पर यथासंभव गाड़ी से बाहर न निकलें। किसी के सम्पर्क में नहीं आवें। यदि ड्राईवर एवं हेल्पर बाहर सार्वजनिक स्थलों में पाये जाते हैं तो संस्था/एसोसियेशन/एजेंसी के विरूद्ध राजस्व आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 के अतिरिक्त आई.पी.सी.1860 की धारा 188 का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जावेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0क्र0/4104ए/कोरोना सेल/2020 रायगढ़, दिनांक 06/05/2020

प्रतिलिपि :-

1- सचिव, छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
2- सचिव, छ0ग0शासन, वाणिज्य उद्योग एवं परिवहन विभाग,
--मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
3- पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़,
5- जिला परिवहन अधिकारी, रायगढ़, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6- सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायगढ, जिला,
7- आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़,
8- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ
9- मुख्य महाप्रबंधक, जिला एवं व्यापार उद्योग केन्द्र, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
10- उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
11- अध्यक्ष, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, रायगढ़,
12- अध्यक्ष, ट्रान्सपोर्ट एसोसियेशन, रायगढ़,
13- अध्यक्ष, मंडी एसोसियेशन, रायगढ़,
14- अध्यक्ष, थोक विक्रेता संघ, रायगढ़,
15- अध्यक्ष, मेडिकल एसोसियेशन, रायगढ़,

की ओर सूचनार्थ। कृपया उक्त निर्देश एवं शर्तो का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

Document/ Korona/JC-098

Scanned with CamScanner